435
11-05-2026

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषयः– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना करने, उक्त Foundation अन्तर्गत 04 Centre of Excellences (CoEs) का संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में कुल रूपये 22,97,31,238/– (बाईस करोड़ सत्तानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, In-demand Technologies में प्रशिक्षण प्रदान करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। झारखण्ड राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के लिए सुविधाओं की कमी है। राज्य सरकार के द्वारा विगत वर्षों में तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास किया गया है। इसी क्रम में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में Centre of Excellences (CoE) की स्थापना करने की परिकल्पना की गयी है।

2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना करने हेतु विभाग के द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विमर्श किया गया है। इसी क्रम में–

I. विभाग के द्वारा दिनांक–18.10.2023 को Centre of Excellence की स्थापना हेतु विभागीय समीक्षा बैठक में Multiple Centre of Excellence स्थापित करने का सुझाव दिया गया, ताकि राज्य में Industry Oriented, Demand based, Placement based training के लिए व्यवस्था हो सके।

II. दिनांक–02.02.2024 को सम्पन्न कार्यशाला में Promotion of R&D in the field of Science & Technology among the Higher Education Institutions of Jharkhand में Industry-Academia Collaboration Theme पर चर्चा के क्रम में Multiple Centre of Excellence की स्थापना से होने वाले लाभ एवं उसके क्रियान्वयन पर विमर्श किया गया।

III. वित्तीय वर्ष 2025–26 विभागीय बजट पुस्तिका में प्रस्तावित योजनाओं की श्रेणी में Centre of Excellences की स्थापना की परिकल्पना की गयी है।

IV. उक्त के क्रम में दिनांक–19.02.2025 को विभाग द्वारा Industry Conclave आयोजित किया गया। उक्त Industry Conclave में राज्य एवं राज्य के बाहर के लगभग 40 से ज्यादा प्रतिष्ठित Industrial Partners (Reliance Jio, TATA Motors, etc.) ने भाग लिया तथा राज्य में High demanding क्षेत्र जैसे–Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing,

Mechatronics, IoT, Sustainable & Renewable Energy Sources, and Cyber Security की स्थापना करने पर सुझाव दिया गया।

V. दिनांक–18.03.2025 को विभाग द्वारा "Consultative Workshop on Draft Student Research & Innovation Policy" का आयोजन किया गया। उक्त Workshop में झारखण्ड राज्य के प्रमुख उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे–Jharkhand University of Technology, Central University of Jharkhand, NIT Jamshedpur, National Metallurgical Laboratory, XLRI Jamshedpur, IIT-ISM Dhanbad तथा अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं संस्थान के प्राचार्य/निदेशक द्वारा भागीदारी की गयी।

3. उपरोक्त के क्रम में CoE की स्थापना हेतु राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के द्वारा विभाग को दिनांक–22.08.2024 को प्रेषित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में CoE की स्थापना के प्रस्ताव की Technical Vetting हेतु IIT (ISM), धनबाद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। IIT (ISM), धनबाद द्वारा CoE के प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए अपने सुझाव के साथ प्रस्ताव का Technical Vetting किया गया। पुनः उक्त प्रस्ताव पर IIT (ISM), धनबाद के सुझाव तथा पुनर्समीक्षा हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दिनांक–12.08.2025 को बैठक की गयी तथा अद्यतन दर के आधार पर प्रस्ताव संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

4. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के द्वारा संशोधित प्रस्ताव ई-मेल दिनांक–22.08.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिसका Technical Vetting पुनः IIT (ISM), धनबाद द्वारा किया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में CoE की स्थापना हेतु अंतिम रूप से तैयार प्रस्ताव की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है–

<u>DETAILS OF THE CoE :-</u>

i. **Name of the Institute: Government Engineering College, Palamu**

ii. **Name of CoE's to be established:**

CoE 1: CoE on Civil Construction and Town Planning
CoE 2: CoE on Sustainable and Renewable Energy Technology
CoE 3: CoE on Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning
CoE 4: CoE on Robotics and Automation

iii. **Name of Labs to be established in each CoE:**

a. CoE 1:
1. Structural Health Monitoring using Non Destructive Testing Lab
2. Earthquake Engineering Lab
3. Town Planning Lab
4. Computational Lab (Optional)

b. CoE 2:
1. Renewable Energy Lab
2. Biomass Conversion Energy Lab
3. Waste to Energy Conversion Lab

c. CoE 3:
1. Data Science Lab

d. CoE 4: 1. Robotics Lab

iv. Name of the Spoke Institution (Polytechnic) for all CoE:

a. Government Polytechnic, Ranchi
b. Government Women's Polytechnic, Ranchi
c. Government Polytechnic, Laterhar
d. Government Polytechnic, Simdega
e. Government Polytechnic, Jamshedpur
f. Government Polytechnic, Adityapur

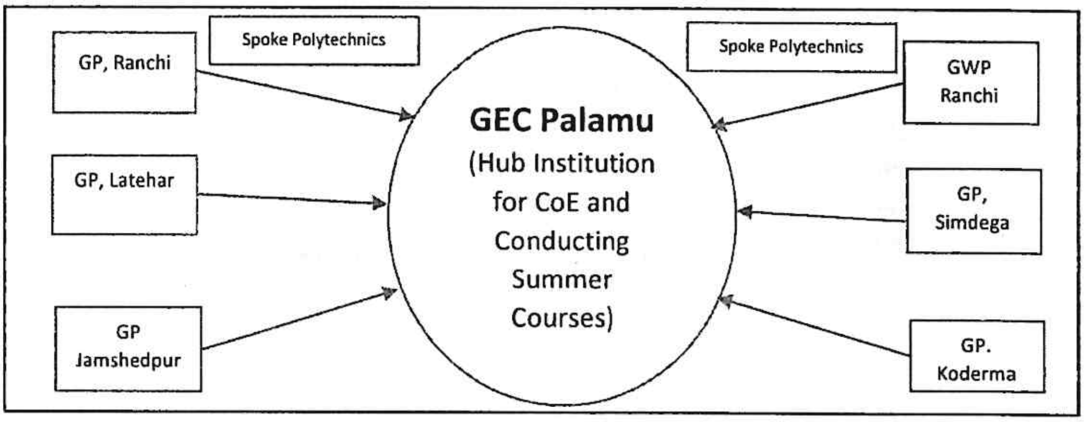

5. CoE (Centre of Excellence) के मुख्य उद्देश्य :–

i. Civil Construction and Town Planning के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा परामर्श सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

ii. ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित पेशेवरों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम, Certificate Course तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।

iii. आधुनिक Civil Construction and Town Planning के क्षेत्र में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू की शैक्षणिक, अनुसंधान तथा परामर्श क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करना।

iv. उद्योग–प्रेरित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning के क्षेत्र में संचालन करना।

v. B.Tech. Projects एवं Ph.D. शोधार्थियों के अनुसंधान कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करना।

vi. Industry Partners के सहयोग से छात्रों एवं शोधार्थियों हेतु Training & Capacity Building programs (Minor electives, Specializations in Engineering, 8 weeks internship program, Short term training program (15 days to 1 month) specialization Programs leading to employment etc.) संचालित करना।

vii. Robotics के क्षेत्र में उन्नत एवं अग्रणी अनुसंधान करना तथा नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

viii. विद्यार्थियों, पेशेवरों एवं आमजन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना तथा रोबोटिक्स तकनीक के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाना।

ix. Spoke Institution के विद्यार्थियों को Summer Internship and Training Program की सुविधा दी जा सकेगी, जिससे उनकी तकनीकी योग्यता में वृद्धि होगी।

x. Consulting Projects भी संचालित किया जायेगा, जो सरकारी विभागों, फंडिंग एजेंसियों एवं उद्योगों के साथ मिलकर की जाएगी।

6. Operating Model of CoE:

a. Key Stakeholders of the CoE

i. Government of Jharkhand – Department of Higher & Technical Education
ii. GEC Palamu (Hub Institution)
iii. Spoke Polytechnics
iv. Industry Partner
v. Mentor Institution
vi. GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation
vii. Institute Level Monitoring Committee

b. Roles and Responsibilities of each Stakeholder:

i. **Government of Jharkhand – Department of Higher & Technical Education**

- Provide necessary budgetary allocation and policy direction for establishment of CoE.
- Review the establishment and progress of CoE at regular intervals and carry out necessary Policy Level amendments based on the recommendations of GEC Palamu.
- Facilitate partnerships between the CoEs and other State Departments for Consultancy opportunities.
- Carry out necessary inspections, physical site visits, in-person reviews as required or as it deems necessary.

ii. **GEC Palamu (Hub Institution)**

- Establishment of the GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation as a Section – 08 Company under the Companies Act, 2013.
- Complete Responsibility for establishment of all CoEs and handover of CoEs to GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation for regular operations of the CoEs.
- Provide physical infrastructure space, access to common utilities such as Electricity and Water Supply and Institutional Facilitation Support for popularisation of CoEs.
- Engage Mentor Institutions for assistance in establishment of CoE, if required.
- Carry out all necessary Procurement and Bid Process Management for engagement of Industry Partner and supply of Capital Equipement (including Annual Maintainance Cost), and Manpower as per Procurement Policy, Orders, Notifications and directions of State Government.
- To ensure timely and proper installation of equipments in all CoEs and designate Nodal Officers for transfer of established CoE's to the GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation.
- To disburse payments for supply and installation of equipments used in CoEs to Industry Partners and monthly payments of manpower supplied by Industry Partner.
- Any carry out other work allocated by Department of Higher and Technical

Education.

iii. **Spoke Polytechnics**

- Facilitate domain specific Summer Trainings and Placements of students through long term and short term programs.
- Act as outreach and facilitation Centre for courses being offered at CoEs.
- Provide feedback on course effectiveness and industry needs in their region.
- Facilitate student participation in hackathons, seminars and open days hosted by the CoE.

iv. **Industry Partner**

- Supply, Install, Test and Commission all CoE's by providing hardware, software, and related infrastructure for establishment, maintenance of CoEs and ensure timely supply of consumables.
- Deploy trained and experienced manpower as per eligibility criteria determined by GEC Palamu and ensure their availibility as per requirement.
- Ensure maintenance and upgrades of hardware and equipments through Annual Maintainance Agreements.
- Provide regular progress reports regarding establishment of CoE to GEC Palamu and submit necessary invoices.
- Submit monthly activity report and invoices for manpower deployed by CoE's to the Institute Level Monitoring Committee

v. **Mentor Institution**

- Provide assistance in Bid Process Management and establishment of CoE in exchange of Consulting Charges.
- Offer industry-grade project opportunities, internships and live problem statements for teachers and students undertaking training in CoE's.
- Provide technical expertise, curriculum validation and quality assurance of short term and long term training programs designed by GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation.
- Provide assistance in designing faculty development programs and advanced research initiatives.
- Source and facilitate in obtaining consultancy projects and reserach grants for GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation, with appropiate revenue-sharing arrangements.
- Facilitate generation, recorgnition and record filing of IPR related activities like Joint Publications, Patents and Innovative Project Outcomes.

vi. **GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation**

- Oversee the day to day operations of the CoE by the constitution of Institute Level Monitoring Committee and CoE Level Governence Structures.
- Approve training and internship programs both of long term and short term nature proposed by each CoE and recommended by the Institute Level Monitoring Committee.
- Undertake Best Practices Study for other CoEs established within the Country and inculcate future partnerships.
- Recieving handover of established CoEs from Nodal Officer/s designated by GEC Palamu.
- Maintain financial records, revenue generation activities and sustainability plan of all CoEs.

- Seek regular progress reports from the Institute Level Monitoring Committee and submit such reports to GEC Palamu.
- Engage Mentor Institutions for sourcing and facilitating Reasearch Grants and Consultancy Projects with appropiate revenue-sharing agreements.
- Decide on the expenditures to be carried out from the revenue generated from the CoEs.
- Provide its concurrence for release of necessary payments against Annual Maintainance Charges, Repairs in Equipments & Capital Structures any other activities required to GEC Palamu.
- Any carry out other work allocated by GEC Palamu.

vii. **Institute Level Monitoring Committee**

- Oversee the operations of each CoE, scrutinize and recommend short-term & long term training programs to be operationalised in the CoEs.
- Ensure operative level maintenance of all equipments (hardware and software) established in each CoE and take decisions for initiation for Annual Maintenance Contracts.
- Oversee the activities of manpower provided by the Industry Partners and recommend replacement of such manpower as per the terms and conditions of Procurement.
- Approve invoices for payment to manpower working in the CoEs and supply the same to GEC Palamu for disbursement.
- Undertake the development of Web Portal and propose the fees for conduction of long term and short term training programs in the CoEs.
- Carry out assessment of revenue collected through training programs and propose avenues for effective utilisation of such collected revenue.
- Any other activity designated by the GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation.

7. **CoE की मुख्य विशेषताएं :–**

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों के Employability में वृद्धि करते हुए संस्थान के प्लेसमेंट Outcome में सुधार।

(ii) Niche Technologies और Future Skills पर विशेष ध्यान देना।

(iii) विद्यार्थियों को Technology Driven Learning के लिए Lifetime अवसर प्रदान करना।

(iv) With Industry, By Industry and For Industry Model.

(v) Unique Learning Experience के साथ प्रशिक्षण अध्यापन।

(vi) NSQF / NHEQF तथा NEP 2020 के साथ alignment.

(vii) उद्यमशील छात्रों को अपने स्वयं के नवाचार और स्टार्ट–अप शुरू करने के लिए सहायता।

(viii) CoE की स्थापना झारखंड स्टार्टअप नीति–2023 के अनुरूप होगी, जिसमें देश की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के साथ उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की परिकल्पना की गई है।

8. **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू अतंर्गत CoEs :–**

a. CoE 1: Civil Construction and Town Planning

Bhan

- Lab 1: Structural Health Monitoring using Non Destructive Testing Lab
- Lab 2: Earthquake Engineering Lab
- Lab 3 : Town Planning Lab
- Lab 4 : Computational Lab (Optional)

b. CoE 2: Sustainable and Renewable Energy Technology

- Lab 1: Renewable Energy Lab
- Lab 2: Biomass Conversion Energy Lab
- Lab 3: Waste to Energy Conversion Lab

c. CoE 3: Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning

- Lab l: Data Science Lab

d. CoE 4: Robotics and Automation

- Lab 1: Robotics Lab

9. Governance Structure for operations and management of CoEs:

a. GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू को राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनाने तथा CoEs के operations and management हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना की जाएगी।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, सेक्शन 8 कंपनी को एक संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, या अन्य समान गतिविधियों के लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना National Initiative for Developing and Harnessing Innovation (NIDHI) के अंतर्गत Centre of Excellence की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए भी सेक्शन 8 कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता है।

सेक्शन 8 कंपनी Not for Profit होती है, जिसके निम्न लाभ है–

- कर में छूट–

  आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत सेक्शन 8 कंपनियां 100% कर छूट के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने मुनाफे का उपयोग Charitable purposes के लिए करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि ऐसी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न मुनाफा गैर–कर योग्य है।

- कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं

पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के विपरीत, सेक्शन 8 संस्थाओं के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपनी पूंजी संरचना को अपनी वृद्धि के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक Flexibility मिल सके।

- अपनी अलग कानूनी पहचान

  सेक्शन 8 कंपनियों की अन्य पंजीकृत कंपनियों की तरह ही एक अलग कानूनी पहचान और स्थायी अस्तित्व है। इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है और उन्हें अधिक स्वायत्तता और कानूनी प्रतिष्ठा मिलती है।

- बढ़ी हुई विश्वसनीयता

  सेक्शन 8 कंपनियां सख्त कानूनी अनुपालन ढांचे के अधीन हैं, जिससे कानूनी स्थिति के संबंध में उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और ट्रस्टों के विपरीत, सेक्शन 8 संस्थाएं पंजीकरण के बाद कड़े अनुपालन का पालन करती हैं, जिससे वे अधिक भरोसेमंद बन जाती हैं।

- एक अलग सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना करते हुए कंपनी के माध्यम से कार्य करने से निर्णय लेने में सुविधा होगी तथा तीव्र गति से कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

- उक्त Foundation के उद्देश्य निम्नवत् हैं:—

i. To operate as an Innovation Hub for technology establishment and act as a nodal center spearheading the activities in the area of Construction and Town Planning, Data Analytics, Renewable Energy, Cyber Physical Systems and other domains in the field of Technologies and Allied Technologies and to undertake and/ foster research innovation, expert- driven focused research of World Class Technology for specific requirements of various Industries, Government Verticals and/ allied institutions and along with the above also undertake to organize and manage any International Collaborative Research Programmes for delivering technologies or technology solutions on the ground for various stakeholders and/ institution of the country.

ii. To incubate and nurture the translation of ideas and innovations emerging from the scientific, technological and knowledge capital, to generate commercial and social impact and to contribute to the economic development and social well-being of the Region and Country by building the necessary infrastructure for creation and translation of technology to market readiness, by supporting adoption of it by existing ventures and creation of start-up ventures, and by creating networks between academia, industry and financial institutions and other such assistance as required and in furtherance of the same create an environment for successful translation of scientific research and knowledge by building and sharing resources, networks, competencies and expertise in key areas at the interfaces of technology and innovation, business and entrepreneurship, and government and policy.

iii. To foster the spirit of innovation and entrepreneurship in individuals and groups to

address the current and emerging societal needs by providing an effective channel to bridge the gap between scientific research and knowledge creation at Government Engineering College, Palamu and allied institutions, and commercialization on the other hand to deliver innovative solutions to the requirements of the market or society at large and to establish center(s) of excellence in emerging technologies and ensure its smooth functioning.

iv. To operate and manage the Centre of Excellence(s) for the purpose of advanced training, research and skill enhancement of students; consulting and industry driven research activities and providing assistance to Government Departments and other Private & Public Sector Companies and Organizations.

b. Institute Level Monitoring Committee

GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा एक Institute Level Monitoring Committee का गठन किया जाएगा, जिसमें CoEs के Facultly In charge, Industry Partner के प्रतिनिधि, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं Mentor Institution के प्रतिनिधि रहेंगे। यह Institute Level Monitoring Committee CoEs के दैन्य–दिन संचालन, निगरानी करेगी तथा आवश्यकतानुसार GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation के Board of Directors को नियमित रिपोर्ट समर्पित करेगी।

c. Institute Level Monitoring Committee की शक्तियाँ और उत्तरदायित्वः–

i. Centre of Excellence के संचालन की निगरानी करना।

ii. राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित Mentor Institutions की पहचान करना तथा उन्हें CoE के संचालन में सहायता हेतु अथवा संस्थाओं/संगठनों से परामर्श परियोजनाएँ या अनुदान प्राप्त करने में सहयोग करना।

iii. Mentor Institution एवं GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation के बीच किये जाने वाले समझौते की शर्तों का निर्माण एवं अंतिम रूप देना, जिसमें उनकी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व, परामर्श परियोजनाओं या अनुदानों के मामले में राजस्व साझा करने की शर्तें शामिल हों।

iv. CoE की संचालन सुनिश्चित करना तथा उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करना और

v. GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य को संपादित करना।

d. CoE Level Governance Structure

प्रत्येक CoE को Operate तथा Maintain करने हेतु एक CoE level Governance Structure तैयार किया जाएगा, जिसकी रूप–रेखा निम्नवत् होगीः–

i. Position of Faculty-in-Charge: Professor/ Associate Professor

ii. Position(s) of Co Faculty-in-Charge: Associate Professor/ Assistant Professor

iii. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक CoE के लिए आवश्यक मानवबल की संख्या एवं अर्हता की विवरणी भी प्रस्ताव में अंकित है। उक्त मानवबल Industry Partners के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

10. CoE द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यः–

i. **Course related Activity:** CoE में संस्थान के छात्रों के लिए Advanced प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त संस्थान के बाहर के छात्रों (Passed Out/Studying in other Institutions) को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ii. **Non-Course Related Activity:** CoE के माध्यम से अन्य Non-Course Related Activities जैसे– Hackathon (thematic), Seminar, Expert Lecture, Open Day / Demo का आयोजन एवं Research & Consultancy Project भी किया जायेगा, जिससे कि CoE का बेहतर उपयोग हो सके।

11. वित्तीय भार की गणना–

a. **CoE 1: Civil Construction and Town Planning**

Sl. No.	Name of the CoE	Estimated Cost	Detailed Specifications
1	Capital Cost	**Rs 8,05,65,366**	Attached as Annexure – II of Appendix - A
2	Annual Maintenance Charges & Overheads for a maximum period of 05 years	**Rs 80,56,537**	
3	Manpower Cost for 5 years	**Rs 2,31,60,000**	Attached as Annexure – III of Appendix - A
4	Supervision Charges maximum up to 8% of Capital Cost mentioned in Sl. No. 01	**Rs 64,45,229**	
5	Contingency Cost	**Rs 5,50,000**	
	Total Cost	**11,87,77,132**	

b. **CoE 2 : Sustainable and Renewable Energy Technology**

Sl. No.	Name of the CoE	Estimated Cost	Detailed Specifications
1	Capital Cost	**Rs. 1,10,92,000**	Attached as Annexure – II of Appendix - A
2	Annual Maintenance Charges & Overheads for a maximum period of 05 years	**Rs. 11,09,200**	
3	Manpower Cost for 5 years	**Rs.1,59,60,000**	Attached as Annexure – III of Appendix - A
4	Supervision Charges maximum up to 8% of Capital Cost mentioned in Sl. No. 01	**Rs. 8,87,360**	
5	Contingency Cost	**Rs.5,50,000**	
	Total Cost	**Rs. 2,95,98,560**	

c. **CoE 3 : Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning**

Sl. No.	Name of the CoE	Estimated Cost	Detailed Specifications

Bhar

1	Capital Cost	**Rs 2,22,24,530**	Attached as Annexure – II of Appendix - A
2	Annual Maintenance Charges & Overheads for a maximum period of 05 years	**Rs 2,22,245**	
3	Manpower Cost for 5 years	**Rs 1,25,98,449**	Attached as Annexure – III of Appendix - A
4	Supervision Charges maximum up to 8% of Capital Cost mentioned in Sl. No. 01	**Rs 17,77,962**	
5	Contingency Cost	**5,00,000**	
	Total Cost	**3,73,23,186**	

d. CoE 4 : Robotics and Automation

Sl. No.	Name of the CoE	Estimated Cost	Detailed Specifications
1	Capital Cost	**Rs. 1,47,50,000**	Attached as Annexure – II of Appendix - A
2	Annual Maintenance Charges & Overheads for a maximum period of 05 years	**Rs. 14,75,000**	
3	Manpower Cost for 5 years	**Rs.1,59,60,000**	Attached as Annexure – III of Appendix - A
4	Supervision Charges maximum up to 8% of Capital Cost mentioned in Sl. No. 01	**Rs. 8,87,360**	
5	Contingency Cost	**Rs.5,00,000**	
	Total Cost	**Rs. 3,36,22,360**	

e. Development of Web Portal:-

CoEs के संचालन हेतु एक अलग वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा, ताकि प्रस्तावों के आवेदन, छात्र–छात्राओं के पंजीकरण, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों और सदस्यता शुल्कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यह पोर्टल CoEs द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के प्रचार–प्रसार में भी सहायक होगा। वेब पोर्टल की आवश्यकताओं का निर्धारण और इसका विकास Institute Level Monitoring Committee के सहयोग से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा किया जाएगा। वेब पोर्टल के विकास में होने वाले अनुमानित व्यय की विवरणी निम्नवत् है–

Sl. No.	Head	Estimated Expenditure (in Rs.)
1	Domain Registration	10,000
2	Web Server Space	25,000
3	Website end-to-end Development	2,00,000
4	Annual Maintenance Cost @ Rs 25,000 per year for 05 years	1,25,000
	Total	**Rs. 3,60,000**

f. Consolidated Financial Estimate

Sl. No.	Name of the CoE	Total Cost (Rs.)
1	CoE 1	11,87,77,132

Bhan

2	CoE 2	2,95,98,560
3	CoE 3	3,73,23,186
4	CoE 4	3,36,22,360
5	Development of Web Portal	3,60,000
	Total	**21,96,81,238**

12. Financial Sustainability Model for CoE:

a. CoE 1: Civil Construction and Town Planning
(as mentioned in Section 13.1 of Part – II of Appendix – A)

Sl. No.	Head	Estimated Revenue					Total Revenue (Rs)
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	Training Cost						
a	Internship – 4 batches x 60 x ₹1000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
b	Short Term Courses – Preliminary 4 batches (60 x₹1000) = ₹2,40,000/year	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
c	Long Term Courses -- 4 batches (60 X ₹2000)	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	24,00,000
2	Research Grant	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00,000
3	Consultancy Income	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00000
4	Any other income (Lab facility utilization by other institute)	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	5,00,000
	Grand Total	30,60,000	30,60,000	40,60,000	40,60,000	50,60,000	1,93,00,000

b. CoE 2: Sustainable and Renewable Energy Technology
(as mentioned in Section 13.1 of Part – II of Appendix – A)

Sl. No.	Head	Estimated Revenue					Total Revenue(₹)
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	Training Cost						
a	Internship – 4 batches x 60 x ₹1000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
b	Short Term Courses – Preliminary 4 batches × 60 x ₹1000) = ₹2,40,000/year	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
c	Long Term Courses – 4 batches (60 X ₹2000)	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	24,00,000
2	Research Grant	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00,000
3	Consultancy Income	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00,000
4	Any other income (Lab facility utilization by other institute)	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	5,00,000
	Grand Total	**30,60,000**	**30,60,000**	**40,60,000**	**40,60,000**	**50,60,000**	**1,93,00,000**

c. CoE 3: Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning
(as mentioned in Section 13.1 of Part – II of Appendix – A)

Sl. No.	Head	Estimated Revenue					Total Revenue
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	Training Cost						
a	Internship	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	3,00,000
b	Short Term Courses	3,84,000	3,84,000	3,84,000	3,84,000	3,84,000	19,20,000

c	Long Term Courses	7,20,000	7,20,000	7,20,000	7,20,000	7,20,000	36,00,000
2	Research Grant	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	1,35,000
3	Consultancy Income	1,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	15,00,000
4	Any other income (Lab facility utilization by other institute)	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	5,00,000
	Grand Total	**13,89,000**	**14,89,000**	**15,89,000**	**16,94,000**	**17,94,000**	**79,55,000**

d. CoE 4: Robotics and Automation
(as mentioned in Section 13.1 of Part – II of Appendix – A)

Sl. No.	Head	Estimated Revenue					Total Revenue (₹)
		Y1	**Y2**	**Y3**	**Y4**	**Y5**	
1	Training Cost						
a	Internship – 4 batches x 60 x ₹1000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
b	Short Term Courses – Preliminary 4 batches × 60 x ₹1000) = ₹2,40,000/year	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	12,00,000
c	Long Term Courses – 4 batches (60 X ₹2000)	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	4,80,000	24,00,000
2	Research Grant	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00,000
3	Consultancy Income	10,00,000	10,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	70,00000
4	Any other income (Lab facility utilization by other institute)	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	5,00,000
	Grand Total	**30,60,000**	**30,60,000**	**40,60,000**	**40,60,000**	**50,60,000**	**1,93,00,000**

e. Consolidated Revenue and Sustainability

Sl. No.	CoE Name	Estimated Cost(Rs)	Estimated Revenue for 05 Years(Rs)
1	CoE 1: Civil Construction and Town Planning	11,87,77,132	1,93,00,000
2	CoE 2: Sustainable and Renewable Energy Technology	2,95,98,560	1,93,00,000
3	CoE 3: Data Analytics including Artificial Intelligence & Machine Learning	3,73,23,186	79,55,000
4	CoE 4: Robotics and Automation	3,36,22,360	1,93,00,000
5	Development of Web Portal	3,60,000	-
	Grand Total	**21,96,81,238**	**6,58,55,000**

CoEs से प्राप्त राजस्व अनुमानित राशि रूपये 6,58,55,000/– (छह करोड़ अट्ठावन लाख पचपन हजार रूपये) GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा निर्धारित पृथक बैंक खाते में रखा जायेगा तथा GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation के Board of Directors के अनुमोदनोपरांत CoEs के प्रचार–प्रसार, संचालन, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ किये जाने वाले MoU, Fee Waivers एवं Board of Directors द्वारा निर्धारित CoE के संचालन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए व्यय किया जा सकेगा।

GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation को प्रत्येक वर्ष अपने CoE के संचालन से संबंधित पृथक बैंक खाता की Audit, CAG Empanelled Chartered Accountant द्वारा कराना

तथा उक्त Audit Report राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

13. Industry Partners का चयन :–

Industry Partner का चयन CoE wise/Lab wise राज्य सरकार की Procurement Policy तथा समय–समय पर दिये जाने वाले Manual/SoP/Direction के अनुसार Request for Proposal (RFP) के माध्यम से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा की जाएगी।

प्रत्येक Centre of Excellence (CoE) / Lab की स्थापना एक Industry Partner की सहायता से की जाएगी, जो CoE / Lab में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना तथा वार्षिक अनुरक्षण (annual maintenance) हेतु जिम्मेदार होगा। यह Industry Partner, CoE के संचालन के लिए आवश्यक मानवबल भी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

Industry Partner के चयन हेतु RFP में निम्नलिखित न्यूनतम विवरणी शामिल होंगे:–

i. CoE / Lab की स्थापना हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों के Detailed Technical Specifications, Bill of Quantity एवं Bill of Materials.

ii. चयन की प्रक्रिया यथा Least Cost Selection, Quality–cum–Cost Based Selection etc.

iii. Capital Equipments के लिए Start Date of Warranty, Annual Maintenance Charges तथा Hardware and Software Requirements एवं CoE के स्थापना की शर्तें।

iv. CoE / Lab के संचालन हेतु आपूर्ति की जाने वाली मानवबल की अर्हता एवं योग्यता तथा deployment की शर्तें।

v. Value of Performance Bank Guarantee एवं Performance Bank Guarantee जमा किए जाने की आंतिम तिथि की विवरणी एवं liquidation की शर्तें।

vi. Detailed Scope of Work तथा Terms and Milestones of Payment की विस्तृत विवरणी।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा प्रत्येक CoE / Lab हेतु Industry Partner के चयन के उपरांत CoE / Lab के स्थापना हेतु आवश्यक Equipments, Software, Hardware का समयबद्ध तरीके से क्रय एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जायेगा एवं आवश्यक राशि Industry Partner को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्पूर्ण अधिष्ठापन के उपरांत GEC Palamu द्वारा CoE wise / Lab wise Nodal Officer नामित करते हुए GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation को CoEs हस्तांतरित किया जायेगा।

Industry Partners द्वारा प्रत्येक CoE / Lab के संचालन हेतु आवश्यक मानवबल प्रदान किया जायेगा एवं उक्त मानवबल CoE के Faculty-in-Charge/Co- Faculty-in-Charge के अधीन कार्य करेंगे। मानवबल के मानदेय भुगतान हेतु Industry Partners द्वारा प्रत्येक माह Institute Level Monitoring Committee को Invoices उपलब्ध कराया जायेगा एवं Committee द्वारा उक्त Invoices के आवश्यक जांचोपरांत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

14. Mentor Institution की सहभागिता :–

a. संस्थान, यदि आवश्यक समझे, तो एक या एक से अधिक Mentor Institution को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियुक्त कर सकता है–

   i. उचित पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charges) के बदले CoE की स्थापना एवं संचालन में सहयोग।

   ii. संस्थाओं अथवा संगठनों से परामर्श परियोजनाएँ या अनुदान (Consulting Projects or Grants) प्राप्त करने में सहायता तथा परियोजना के क्रियान्वयन एवं सफल निष्पादन में मार्गदर्शन, जिसमें आपसी सहमति से राजस्व साझा (Revenue Sharing) का प्रावधान हो।

   iii. संस्थान द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य कोई गतिविधि।

b. Mentor Institution के रूप में केवल वे संस्थान पात्र होंगे जो–

   i. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (Institute of National Importance) हों, या

   ii. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की Empanelled Labs हों

c. CoE की स्थापना एवं संचालन में सहयोग हेतु यदि कोई Mentor Institution चिन्हित एवं संलग्न किया जाता है, तो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा Mentor Institution के साथ Memorandum of Understanding (MoU) तैयार करेगी, जिसमें Mentor Institution के कार्यक्षेत्र का विवरण, पर्यवेक्षण शुल्क तथा भुगतान की चरणबद्ध रूपरेखा आदि का उल्लेख होगा। तैयार MoU पर विधि विभाग, झारखंड की विधिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही Mentor Institution एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के मध्य MoU हस्ताक्षरित किया जाएगा।

d. परामर्श परियोजनाएं या अनुदान प्राप्त करने में सहायता तथा CoE के क्रियान्वयन एवं सफल निष्पादन में मार्गदर्शन हेतु GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation एवं Mentor Institution मिलकर MoU तैयार करेंगे, जिसमें Mentor Institution के कार्यक्षेत्र का विवरण, राजस्व साझा की शर्तें तथा भुगतान की शर्तों आदि का उल्लेख होगा। GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा अपने Board of Directors से अनुमोदन के उपरांत Foundation एवं Mentor Institution के बीच MoU हस्ताक्षरित किया जायेगा।

e. राज्य सरकार के कोष से व्यय होने की स्थिति में Supervision Charges, CoE की स्थापना हेतु Capital Cost के 8% से अधिक नहीं होगा।

f. Revenue Sharing की स्थिति में, Mentor Institution को कुल Consulting Income के 20% की अधिकतम सीमा के अधीन परामर्श शुल्क प्रदान किया जाएगा।

15. Expected Outcomes :–

(i) छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना:– Centre of Excellences में प्रशिक्षण से छात्रों को उभरती हुई प्रौद्योगिकी और सेवाओं में उद्योग के लिए तैयार Professionals में परिवर्तित किया जायेगा।

(ii) अल्पसुविधा प्राप्त छात्रों के लिए Access to Technology में वृद्धि:– Centre of Excellences सामाजिक स्तर के सभी वर्गों के छात्रों को अपने कौशल को निखारने और global careers के लिए तैयार करने के लिए अत्याधुनिक infrastructure, प्रौद्योगिकियों, सेवाओं तक Access प्रदान करेगा।

(iii) उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना :– Centre of Excellences प्रौद्योगिकियों, उद्योग भागीदारों और सलाहकारों के समर्थन के साथ एक जीवंत Incubation Ecosystem के माध्यम से स्टार्टअप में अभिनव विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा ताकि early-stage उद्यमियों को groom और mentor किया जा सके जो Job seekers से Job providers बन सकते हैं। यह Centre of Excellences राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के Innovation and Incubation Centre Foundation के अंतर्गत एक आधुनिक प्रयोगशाला के रूप में प्रशिक्षण एवं स्टार्टअप में अभिनव विचारों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

(iv) राज्य का आर्थिक विकास:– Centre of Excellences से उत्पादित talent pool रोजगार सृजन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त माध्यम होगा और राज्य में आर्थिक गतिविधि और विकास की शुरुआत करने में योगदान देगा।

16. GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना : –

(i) Centre of Excellences की स्थापना राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के द्वारा की जाएगी। Centre of Excellences के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में शोध, नवाचार, Startup promotion आदि से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जाएगी।

(ii) कंपनी के गठन हेतु Subscribers तथा Share Holding की विवरणी निम्नवत् है–

क्र.	Subscribers की विवरणी	No. of shares taken by each Subscribers
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्यपाल, झारखण्ड	99990
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	1
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	1
4	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	1
5	निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	1
6	कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1
7	निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी, धनबाद	1
8	Prof-in-charge, Institution Innovation Council, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू	1

Bhav

9	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू	1
10	विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू	1
11	निदेशक/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू	1

GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation के Board of Directors के पास कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक पदों का सृजन, सभी पदों पर भर्त्ती, कंपनी की अपनी Procurement Policy तैयार करने आदि सभी शक्तियां होंगी।

(iii) कंपनी के आय के मुख्य स्रोत निम्नवत् होंगे–

भारत या विदेश में विभिन्न व्यक्तियों या संस्थानों से नकद और/या वस्तु के रूप में दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना, जिसमें भारत या भारत में कोई अन्य संस्थान और/या विदेश में उनके सहयोगी और/या भारत या विदेश में उनके पूर्व छात्र शामिल हैं।

कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार, सार्वजनिक निकायों, शहरी, स्थानीय, नगरपालिका, जिला और अन्य निकायों, निगमों, कंपनियों या अन्य व्यक्तियों से अनुदान या धन, उपकरण, भूमि, भवन, दान, उपहार, सदस्यता और अन्य सहायता कंपनी स्वीकार कर सकती है।

(iv) उक्त कम्पनी की स्थापना हेतु Memorandum of Association (MoA) Appendix-B के रूप में तथा Articles of Association (AoA) Appendix-C के रूप में संलग्न है। उक्त कम्पनी की स्थापना हेतु रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र का Share Capital के रूप में व्यय अनुमानित है। इसके अतिरिक्त कंपनी के पंजीकरण संबंधी कार्य हेतु रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र व्यय अनुमानित है।

17. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा दिये गये प्रस्ताव में CoE की स्थापना हेतु Lab wise Equipment Requirement (Numbers & Items) प्राप्त हुआ है, जो Appendix-A में संलग्न है।

(i) CoE के स्थापना तथा संचालन के दौरान अथवा RFP के प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि Equipment Requirement (Numbers & Items) में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी/कमी/संशोधन किये जाते हैं, तो बढ़ोत्तरी/ कमी/संशोधन की Technical Vetting राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा IIT (ISM), Dhanbad से करायी जायेगी। संशोधन की प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि होने की स्थिति में IIT (ISM), Dhanbad द्वारा Technical Vetting के उपरांत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू द्वारा प्रस्ताव तैयार करते हुए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) अनुमानित व्यय राशि से 20% तक की वृद्धि पर अनुमोदन हेतु विभागीय मंत्री सक्षम प्राधिकार होंगे तथा व्यय राशि से 20% से ज्यादा की वृद्धि पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

18. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में 04 Centre of Excellences (CoEs) जिसकी विवरणी Appendix-A में संलग्न है, की स्थापना एवं संचालन हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये **21,96,81,238/–** (इक्कीस करोड़ छियानवे लाख इक्यासी हजार दो सौ अड़तीस रूपये) का व्यय अनुमानित है, जिसकी गणना कंडिका 11 में की गयी है। कंडिका 12 के विवरणी के अनुसार विद्यार्थियों एवं अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण शुल्क/अन्य राशि रूपये 6,58,55,000/– (छह करोड़ अट्ठावन लाख पचपन हजार रूपये) मात्र अनुमानित है।

19. अतः–

(i) GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना की स्वीकृति तथा उक्त सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना हेतु Memorandum of Association (Appendix - B) तथा Articles of Association (Appendix - C) के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना, Centre of Excellences की स्थापना एवं कुल पाँच (05) वर्षों तक संचालन हेतु अनुमानित व्यय निम्नवत् है–

Sl. No.	Head	Total Cost (Rs.)
1.	Establishment and Operation of CoE 1	11,87,77,132
2.	Establishment and Operation of CoE 2	2,95,98,560
3.	Establishment and Operation CoE 3	3,73,23,186
4.	Establishment and Operation CoE 4	3,36,22,360
5.	Development of Web Portal	3,60,000
6.	Share Capital for establishment of GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation	1,00,00,000
7.	Expenses related to Registration of Company	50,000
	Grant Total (in Rs.)	**22,97,31,238**

उपरोक्त अनुमानित व्यय राशि रूपये 22,97,31,238/- (बाईस करोड़ संतानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

20. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation, Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना एवं संचालन में व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण (796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)/उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत समुचित ईकाई से किया जाएगा। उक्त योजना के लिए राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमानुसार राशि की निकासी कर संबंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

Bhan

21. उपर्युक्त CoEs के संचालन/क्रियान्वयन के क्रम में भविष्य में नीतिगत मामले को छोड़कर किसी प्रकार के अन्य आवश्यक संशोधन विभागीय मंत्री के अनुमोदन से की जा सकेगी।

22. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–28.04.2026 में मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11.5.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/विविध–40/2025– 435 /राँची, दिनांक– 11-05-2026
प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.5.26
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/विविध–40/2025– 435 /राँची, दिनांक– 11-05-2026
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची एवं संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.5.26
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–त0शि0प्र0/विविध–40/2025– 435 /राँची, दिनांक– 11-05-2026
प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/विभागीय बजट शाखा/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी, RUSA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.5.26
सरकार के प्रधान सचिव।